



Indira Gandhi Delhi Technical University For Women

(Established by Govt. of Delhi vide Act 09 of 2012)

Kashmere Gate, Delhi-110006

No. F.16(10)/Plg/IGDTUW/2013/ 5686

Dated the 10th March, 2015

To

All the Deans/HoDs, IGDTUW

Sub: First Ordinance of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, 2014.

Sir/Madam,

Please enclosed herewith a copy of Notification regarding "First Ordinance of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, 2014" relating to establishment of faculties and departments of the University published in the Delhi Gazette, Extraordinary Part III, No. 3, NCTD No. 112 dated 7/10/2014 for information.

Yours faithfully,

(S.N. Jha)
Registrar

Encl: As above.

✓ Copy forwarded to the Incharge (IT Services) with the request to kindly upload the Notification on the University's web portal.

(S.N. Jha)
Registrar

406/Head/ITS
12/3/15

29/10

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारतसरकार

REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]	दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2014/आश्विन 1, 1936	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 112
No. 03]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2014/ASVINA 1, 1936	[N.C.T.D. No. 112

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानीराज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

इंदिरा गांधी दिल्ली, टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन
कश्मीरी गेट, दिल्ली

अधिसूचना

दिनांक 07 अक्तूबर, 2014

फा. 16 (10)/पीएलजी/डीटीयूडब्ल्यू/2013/3142.—इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन के उपकुलपति ने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन (प्रथम) संविधि 2012 के अनुच्छेद 14 के साथ पठन सहित इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन अधिनियम 2012 (दिल्ली अधिनियम सं. 9, 2012) की धारा 31 की उप-धारा (2) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप-राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन के लिए यूनिवर्सिटी के संकायों एवं विभागों की स्थापना से संबंधित प्रथम अध्यादेश गठित किया है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ.—(1) इस अध्यादेश को "इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमन 2014 का प्रथम अध्यादेश" कहा जा सकता है।

